

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2025—कार्तिक 9, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 अगस्त 2025

क्रमांक ESTB(1)/91/2025-GAD-2.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 11-04-2025 द्वारा श्रीमती आर. शंगीता, भा.प्र.से. (2005) को दिनांक 24-04-2025 से दिनांक 08-08-2025 तक स्वीकृत संतान पालन/अर्जित अवकाश की निरंतरता में दिनांक 09-08-2025 से 14-08-2025 तक (दिनांक 15, 16 एवं 17 अगस्त, 2025 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ते हुए) 06 दिवस का अर्जित अवकाश में वृद्धि किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्वेष घृतलहरे, उप-सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 अक्टूबर 2025

क्रमांक WELF/95/2025-REVENUE/सात-3.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तहसील की सीमाओं को परिवर्तित करना, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नवीन तहसील सृजित करना तथा इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है।

राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से साठ दिवस की समाप्ति पर, प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव, लिखित में संचित छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर को उक्त अवधि के अवसान के पूर्व अग्रेषित किये जा सकेंगे :—

अनुसूची

स. क्र.	जिला	वर्तमान तहसील	नवीन तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	नवीन तहसील की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जशपुर	फरसाबहार	तपकरा	राजस्व निरीक्षक मण्डल तपकरा के पटवारी हल्का नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 एवं 12 के कुल 33 ग्राम. अतः 08 पटवारी हल्के के कुल 33 ग्राम नवीन तहसील “तपकरा” में शामिल होंगे।	उत्तर- तहसील-कांसाबेल, जिला-जशपुर दक्षिण- जिला-सुंदरगढ़, उड़ीसा पूर्व- झारखंड राज्य पश्चिम- तहसील-फरसाबहार, जिला-जशपुर

प्रस्तावित परिवर्तन का कारण :— प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण

No. WELF/95/2025-REVENUE/Seven-3.—In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the said Code, the State Government proposes to alter the limits of Tahsil specified in column (3), to create a new Tehsil specified in column (4) and to define the limits thereof as specified in Schedule below.

The proposal shall be taken into consideration on the expiry of sixty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette and any objections or suggestions in respect thereof may be forwarded, in writing to the Secretary, Government of Chhattisgarh Department of Revenue and Disaster Management, Mantralaya, Mahanadi

Bhawan, Capitol Complex, Nava Raipur Atal Nagar, District Raipur before the expiry of the Said period ;—

SCHEDULE

S.No.	Distrtict	Present Tahsil	New Tahsil	Nature of Change	Boundaries of new Tahsil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jashpur	Farsabahar	Tapkara	Total 33 villages of Patwari Halka No. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 and 12 of Revenue Inspector Circle Tapkara. Hence, total 33 villages of 08 Patwari Halka shall be included in new Tehsil "Tapkara".	North- Tahsil-Kasabel, District-Jashpur South- District Sundergarh, Odissa East- Jharkhand State West- Tahsil- Farsabahar, District-Jashpur

Reasons for proposed change — Administrative decentralization

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविंद कुमार एक्का, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 29 सितम्बर 2025

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/12786/क/भू-अर्जन/202410052900002/अ 82/2025.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	बरपाली	कुरुडीह	0.0360 हे.	मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत बांयी तट नहर के सोहागपुर माइनर नहर निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 30-10-2025 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम कुरुडीह नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत बांयी तट नहर के सोहागपुर माइनर नहर निर्माण
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक

5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	सिंचाई सुविधा
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत वसंत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 19 सितम्बर 2025

प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2022-23/3322.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

भूमि का वर्णन			अनुसूची	धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	मरवाही	चिचगोहना प.ह.नं. 30	3.377	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मु. पेण्ड्रा रोड	चिचगोहना एनीकट योजना के अंतर्गत डुबान कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मरवाही के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कमलेश मंडावी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) सरगुजा, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 24 सितम्बर 2025

क्रमांक/1277/अ.भू.-अभि./2025.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 67 “प्रतिस्थापित भू-सर्वेक्षण” की अधिसूचना की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं एतद्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित नगर पालिक निगम अम्बिकापुर क्षेत्र में नक्शा प्रोजेक्ट के तहत शहरी क्षेत्र का अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए सर्वेक्षण संबंधी कार्य के प्रारंभ होने की घोषणा करता हूँ, यह क्षेत्र जारी अधिसूचना की तारीख से लेकर तब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा, जब तक की ऐसी संक्रियाओं के बंद किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जावे :—

अनुसूची

क्र.	जिले का नाम	तहसील	नगर पालिक निगम	प.ह.नं.	नगर पालिक निगम अम्बिकापुर में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	राजस्व सर्वेक्षण हेतु कुल रकबा (वर्ग कि.मी. में)	नगर पालिक निगम अम्बिकापुर क्षेत्र की चतुर सीमा	बाह्य सीमा का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	सरगुजा	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर	21	गंगापुरखुर्द	32.69 वर्ग कि.मी.	उत्तर दिशा-ग्राम डिगमा, ग्राम-सरगवां	नगर पालिक निगम
				13	नवागढ़		उत्तर-पूर्व-ग्राम सोनपुर	अम्बिकापुर
				18	भगवानपुरकला		पूर्व दिशा- ग्राम खैरबार,	के चतुर
				17	सुभाषनगर		ग्राम श्रीगढ़	सीमा का
				12	पचपेड़ी		दक्षिण-पूर्व-ग्राम कंठी,	बाह्य क्षेत्र
				14	मायापुर		दक्षिण दिशा-ग्राम सांडबार,	स्थित
				15	अम्बिकापुर		दक्षिण-पश्चिम-ग्राम हराटिकरा,	
				16	फुन्दुरडिहारी		पश्चिम दिशा-ग्राम केशवपुर,	
				19	बिशुनपुर		ग्राम विशुनपुरखुर्द, ग्राम-	
				20	नमनाकला		अजिरमा,	
				22	मणीपुर		उत्तर-पश्चिम-ग्राम भगवानपुरखुर्द	
				23	लक्ष्मीपुर			

No./1277/Land Record/2025.—Under the powers conferred by sub-section (1) of Section 67 of the Chhattisgarh Land Record Code, 1959, regarding “Re-survey Notification”, I hereby declare the commencement of survey-related work for preparation of property records under the NAKSHA Project in the under area falling under the limits of Municipal Corporation Ambikapur, as specified in the schedule below, This area shall be considered under

such survey from the date of issue of this notification until a notification announcing the completion of such operation is issued :—

SCHEDULE

S. No.	Distrcit Name	Teshil	Municipal Corporation on Area	P.H. No.	Names of villages included in Ambikapur Municipal Corporation	Total Area (in sq. Km.)	Detail of External Boundaries of Municipal Corporation Ambikapur	Details of Quadrilateral Boundary
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Surguja	Ambikapur	Ambikapur	21	Gangapur-khurd	32.69 Sq Km.	North-Village-Digama, Village-Saragavan	Ambikapur Municipal Corporation Area
				13	Navagarh		North-East-Village - Sonpur	Quadrilateral Boundary
				18	Bhagwanpur-kala		East-Village- Khairbar Village- Shrigarh	
				17	Subhashnagar		South East-Village- kanthi	
				12	Pachpedi		South- Village-Sandbar	
				14	Mayapur		South -West-Village- Hrratikra	
				15	Ambikapur		West-Village-Keshavpur	
				16	Fundurdihari		Village-Bishunpur-khurd, Village-Ajirama	
				19	Bishunpur		North-West-Village- Bhagwanpurkhurd	
				20	Namnakala			
				22	Manipur			
				23	Lakshmipur			

विलास संदीपान भोस्कर,
कलेक्टर एवं
सर्वेक्षण अधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 22nd August 2025

No. 1049/Confdl./2025/II-2-1/2025.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, is transferred from the place shown in column No. (3) to the place shown in column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date she assumes charge of her office and;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date she assumes charge of her office :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Mona Chauhan, Joint Registrar, Chhattisgarh State Consumer Disputes Redressal Commission.	Raipur	Bilaspur	Bilaspur	XII District & Additional Sessions Judge

Bilaspur, the 22nd August 2025

No. 1050/Confdl./2025/II-2-1/2025.—The following Civil Judges (Senior Division), as specified in Column No. (2) of the table below, who have been promoted and appointed to the post of District Judge (Entry Level) in officiating capacity by the State Government vide its Order No. 3192/2343/XXI-B/C.G./2025 dated 12-08-2025 and Corrigendum No. 3203/2343/21-ब/छ.ग./2025 dated 13-08-2025, are transferred from the place specified in Column No. (3) to the place specified in Column No. (4) and are posted in the capacity as specified in Column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) and;

The following Civil Judges (Senior Division), as specified in Column No. (2), who have been promoted and appointed to the post of District Judge (Entry Level) in officiating capacity by the State Government, are appointed as Additional Session Judge for the Sessions Division, mentioned in Column No. (5), from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Pankaj Dixit, I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate	Durg	Durg	Durg	IX District & Additional Sessions Judge
2.	Shri Brijesh Rai, I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate	Manendragarh	Raipur	Raipur	IV District & Additional Sessions Judge
3.	Shri Subodh Mishra, I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate	Sukma	Raipur	Raipur	VII District & Additional Sessions Judge
4.	Smt. Ravinder Kaur, I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate	Janjgir-Champa	Janjgir	Janjgir-Champa	District & Additional Sessions Judge, F.T.S.C. (POCSO)
5.	Ku. Sakshee Dixit, I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate	Baikunthpur	Bemetara	Bemetara	II District & Additional Sessions Judge

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Shri Sheelu Singh, I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate	Korba	Katghora	Korba	II District & Additional Sessions Judge
7.	Smt. Namita Minj Bhaskar, I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate	Dhamtari	Dhamtari	Dhamtari	I Additional Judge to the Court of District & Additional Sessions Judge
8.	Shri Sumit Kumar Harsyana, I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate	Ambikapur	Surajpur	Surajpur	II District & Additional Sessions Judge
9.	Shri Jeetendra Pradhan, I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate	Jagdalpur	Raipur	Raipur	XIV District & Additional Sessions Judge
10.	Dr. Sumit Kumar Soni, I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate	Ramanujganj	Ramanujganj	Balrampur-Ramanujganj	Additional Judge to the Court of I District & Additional Session Judge
11.	Ms. Manisha Thakur, I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate	Mungeli	Bilaspur	Bilaspur	VI District & Additional Sessions Judge
12.	Shri Radheshyam Dhruw, I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate	Baloda-bazar	Kurud	Dhamtari	Additional Judge to the Court of District & Additional Sessions Judge, Dhamtari at Kurud
13.	Smt. Sarojani Janardan Khare I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate	Jashpur	Jashpur	Jashpur	Additional Judge to the Court of District & Additional Sessions Judge
14.	Shri Shyam Kumar Sahu, I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate	Khairagarh	Raigarh	Raigarh	V District & Additional Sessions Judge
15.	Smt. Anita Dhruw, I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate	Gariaband	Raipur	Raipur	District & Additional Session Judge, III F.T.S.C. (POCSO)
16.	Ku. Rajeshwari Suryawanshi, I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate	Kawardha	Kawardha	Kabirdham (Kawardha)	II Additional Judge to the Court of District & Additional Sessions Judge
17.	Shri Vijendra Sonwani, I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	XI District & Additional Sessions Judge

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	Shri Girish Kumar Mandavi, I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate	Raipur	Raipur	Raipur	District & Additional Sessions Judge, IV F.T.S.C.(POCSO)
19.	Shri Anand Borkar, I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate	Mahasamud	Mahasamund	Mahasamund	II District & Additional Sessions Judge

Note : (i) *The Judicial Officer, whose name is mentioned at serial no. 11 shall not be entitled to any transfer grant and/or allowance(s) pursuant to transfer on her own request.*

By Order of the High Court,
MANSOOR AHMED, I/c Registrar General.
